HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46-B, I.T. Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 04.07.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of O.A. No. 377 of 2022 titled "Mohini Sharma Versus State of Uttarakhand".

INDEX

Sr. No.	Description of Documents	Page No(s)
1	Factual and Action Taken Report	1-3
2	**Annexure-1**. Inspection report of Joint Committee dated 05.08.2022 amd 22.08.2022	4-5

Date: 15.09.2022
Place: Dehradun

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT
Original Application No. 365 of 2022

In the matter of:

Mohini Sharma …………… Applicant

Versus

State of Uttarakhand ………………. Respondent

I. BACKGROUND

1. That, the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, in the matter of O.A. No. 377 of 2022, Mohini Sharma Versus State of Uttarakhand, issued following directions on 04.07.2022:

1….xxx……………………………………xxx………………………………….xxx

2. In view of the serious allegations made in the application, it would be appropriate to have a factual and action taken report in the matter. Accordingly, we constitute a Join Committee comprising of State PCB, District Magistrate and Superintendent of Polic, Haridwar. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite action by following due process of law. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

xxx…………………………………………xxx…………………………………….xxx

3. In compliance of order passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi on dated 04.07.2022, the Joint Committee undertaken the inspection of workshop on 05.08.2022 and 22.08.2022.. Following officials were part of Joint Committee:

   i) City Magistrate, Distt- Haridwar.
   ii) Assistant Police Superintendent/Regional Office, Jwalapur, Distt-Haridwar.

iii) Regional Officer (I/c), Uttarakhand Pollution Control Board, Roorkee, Distt- Haridwar.

iv) Assistant Tax Commissioner, Nagar Nigam, Distt- Haridwar.

v) Shri Gaurav Shara, Complainant.

vi) Shri Ajay Kumar, Workshop owner.

II. FACTUAL REPORT

Observations during inspection of workshop by the members of Joint Committee are as given below:

निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री गौरव शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त वर्कशाप के संचालन से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिस कारण मेरी वृद्ध माता को स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी होती है एवं मेरे आनलाईन के काम में व्यवधान पैदा होता है। मौके पर वर्कशाप का निरीक्षण किया गया। जिसमें किसी प्रकार का कार्य होता नहीं पाया गया। वर्कशाप संचालक श्री अजय कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि आर्डर न होने के कारण वर्कशाप में कार्य बन्द है। मौके पर निरीक्षण में पाया गया कि वर्कशाप में 10 x 12 फिट की दुकान पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें कटिंग, वैल्डिंग एवं फैब्रिकेशन का कार्य किया जाता है। शिकायतकर्ता का घर वर्कशाप से सड़क की दूसरी तरफ 20 से 25 फिट की दूर पर स्थित है।

प्रकरण पर संयुक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्कशाप के संचालन के समय ध्वनि का अनुश्रवण किया जाये तथा ध्वनि अनुश्रवण रिपोर्ट नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रेषित् की जाये। तद्नुसार नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में गतिमान वाद पर अंतिम निर्णय लिया जा सके व मा0 एन0जी0टी0 को Action Taken Report से अवगत कराया जा सके।

बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा कमशः दिनांक 05.08.2022 व दिनांक 22.08.2022 को ध्वनि प्रदूषण अनुश्रवण हेतु वर्कशाप का औचक निरीक्षण किया गया। किन्तु उक्त दोनो मौक पर वर्कशाप पर कार्य होता नहीं पाया गया। जिस कारण अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

उक्त शिकायती प्रकरण पर नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में श्री अजय कुमार, आयरन वर्कशाप महोल्ला न्यू धीरवाली, बी0एच0ई0एल0 रोड, ज्वालापुर जनपद–हरिद्वार के विरूद्ध धारा–133(1) द0प्र0सं0 1973 के तहत वाद दायर है जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

CONCLUSION AND ACTION TAKEN BY UKPCB:

On the said complaint case, a suit is filed in the Municipal Magistrate Court against Mr. Ajay Kumar, Iron Workship Mohalla, New Dhirawali, BHEL Road, Jwalapur, Haridwar under Section-133(1) D.Pr.S. 1973 on which proceedings are in progress.

****

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की -247667 हरिद्वार

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0-147(36)/2022/ 793 दिनांकः 07.09.2022

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

3287
9/9/22.

विषयः- मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0- 377/2022 मोहिनी शर्मा बनाम उत्तराखण्ड शासन में पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0- 377/2022 मोहिनी शर्मा बनाम उत्तराखण्ड शासन में पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 के अनुपालन में स्थलीय निरीक्षण दिनांक 05.08.2022 को किया गया। **(आख्या संलग्न)।**

उपरोक्तानुसार संयुक्त कमेटी द्वारा निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं मा0 एन0जी0टी0 से ATR प्रेषित् किये जाने हेतु सादर प्रेषित् है।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(सुभाष चन्द पंवार)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपिः-

1. **जिलाधिकारी महोदय, हरिद्वार** को सादर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार** को सूचनार्थ प्रेषित्।
3. **अपर जिलाधिकारी महोदय** जिला-हरिद्वार को उनके पत्र सं0-303/LBA-2022 दिनांक 05.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित्।
4. **नगर आयुक्त,** नगर निगम हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित्।
5. **नगर मजिस्ट्रेट,** हरिद्वार को सूचनार्थ प्रेषित्।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

CEO (T)	CEO (S)
CEO (Admin)	SE

12.09.2022

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन सं0- 377/2022 मोहिनी शर्मा बनाम उत्तराखण्ड शासन में पारित आदेश दिनांक 04.07.2022 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या। 5

उपरोक्त विषयक श्रीमति मोहिनी शर्मा, निवासी- मोहल्ला धीरवाली, बी0एच0ई0एल0 रोड़, ज्वालापुर हरिद्वार द्वारा घर के समीप स्थित आयरन वर्कशाप से जनित ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के क्रम में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 04.07.2022 को पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

"The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite action by following due process of law"

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0- यूकेपीसीबी/एचओ/सा0-183-578/2022/600 दिनांक 13.07.2022 के क्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 05.08.2022 को निरीक्षण किया गया जिसमें उपस्थिति निम्नवत् है:-

1. **नगर मजिस्ट्रेट, जिला-हरिद्वार।**
2. **सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर, जनपद-हरिद्वार।**
3. **क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की, जनपद-हरिद्वार।**
4. **सहायक कर आयुक्त, नगर निगम, जनपद- हरिद्वार।**
5. **श्री गौरव शर्मा शिकायतकर्ता।**
6. **श्री अजय कुमार, वर्कशाप संचालक।**

निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री गौरव शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त वर्कशाप के संचालन से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिस कारण मेरी वृद्ध माता को स्वास्थय सम्बधी परेशानी होती है एवं मेरे आनलाईन के काम में व्यवधान पैदा होता है। मौके पर वर्कशाप का निरीक्षण किया गया। जिसमें किसी प्रकार का कार्य होता नही पाया गया। वर्कशाप संचालक श्री अजय कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि आर्डर न होने के कारण वर्कशाप में कार्य बंद है। मौके पर निरीक्षण में पाया गया कि वर्कशाप में 10x12 फिट की दुकान पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें कटिंग, वैल्डिंग एवं फैब्रिकेशन का कार्य किया जाता है। शिकायतकर्ता का घर वर्कशाप से सड़क की दुसरी तरफ 20 से 25 फिट की दूरी पर स्थित है।

प्रकरण पर संयुक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्कशाप के संचालन के समय ध्वनि का अनुश्रवण किया जाए तथा ध्वनि अनुश्रवण रिपोर्ट नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रेषित् की जाए। तद्नुसार नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में गतिमान वाद पर अंतिम निर्णय लिया जा सके व मा0 एन0जी0टी0 को Action Taken Repot से अवगत कराया जा सके।

बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा क्रमशः दिनांक 05.08.2022 व दिनांक 22.08.2022 को ध्वनि प्रदूषण अनुश्रवण हेतु वर्कशाप का औचक निरीक्षण किया गया। किन्तु उक्त दोनों मौके पर वर्कशाप पर कार्य होता नही पाया गया। जिस कारण अनुश्रवण नही किया जा सका।

उक्त शिकायती प्रकरण पर नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में श्री अजय कुमार, आर्यरन वर्कशाप महोल्ला न्यू धीरवाली, बी0एच0ई0एल0 रोड़, ज्वालापुर जनपद-हरिद्वार के विरूद्ध धारा-133(1) द0प्र0सं0 1973 के तहत् वाद दायर है जिस पर कार्यवाही गतिमान है।

(मिठ्ठन लाल शाह) **सहायक कर आयुक्त, नगर निगम, जनपद- हरिद्वार।**	**(सुभाष चन्द पंवार)** **क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)** **उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की** **जनपद-हरिद्वार।**	**(रेखा यादव)** **सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी** **ज्वालापुर, जनपद-हरिद्वार।**	**(अवधेष कुमार सिंह)** **नगर मजिस्ट्रेट,** **जिला-हरिद्वार।**